

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के निःशुल्क विद्युत खपत की सीमा 30 यूनिट से बढ़ाकर 40 यूनिट की गई है। अतएव एकल बत्ती कनेक्शन हेतु राशि ₹ 250.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

05 अश्वशक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु राशि ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।